रजिस्टर्ड डाक द्वारा

संख्याः 36/2020/1386 प्रो०/51-2020-14(10)/2019

प्रेषक,

अजय कुमार ओझा,
अनु सचिव,
मुख्यमंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
आगरा ।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊः दिनांक 31 अगस्त, 2020

विषयः जनपद आगरा में पधारने वाले मा० राज्य अतिथियों के सेवा-सत्कार आदि पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 510/प्रोटोकाल, दिनांक 07 अगस्त, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथियों के परिवहन से संबंधित निम्न देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रूपये 4,66,171=00 (रूपये चार लाख छाःछठ हजार एक सौ इकहत्तर मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्रम सं०	**मा० राज्य अतिथि का नाम/पदनाम/यात्रा की तिथि /वाहन संख्या/ देयक संख्या/दिनांक**	**धनराशि**
1-	प्रो० राम शंकर कठेरिया जी, मा० अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार। दिनांक 08-02-2020 से 10-02-2020, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-8990, देयक संख्याः आगरा/0012, दिनांक 20-05-2020	रू० 39,370=00
2-	प्रो० राम शंकर कठेरिया जी, मा० अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार। दिनांक 15-02-2020 से 17-02-2020, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-8990, देयक संख्याः आगरा/0013, दिनांक 20-05-2020	रू० 32,056=00
3-	प्रो० राम शंकर कठेरिया जी, मा० अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार। दिनांक 11-02-2020 से 12-02-2020, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-8990, देयक संख्याः आगरा/0014, दिनांक 20-05-2020	रू० 15,577=00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4-	प्रो० राम शंकर कठेरिया जी, मा० अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार। दिनांक 04-03-2020 से 06-03-2020, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-8990, देयक संख्याः आगरा/0017, दिनांक 07-06-2020	रू० 52,599=00
5-	प्रो० राम शंकर कठेरिया जी, मा० अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार। दिनांक 07-03-2020 से 10-03-2020, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-8990, देयक संख्याः आगरा/0018, दिनांक 07-06-2020	रू० 42,442=00
6-	प्रो० राम शंकर कठेरिया जी, मा० अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार। दिनांक 11-03-2020, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-8990, देयक संख्याः आगरा/0019, दिनांक 07-06-2020	रू० 25,509=00
7-	प्रो० राम शंकर कठेरिया जी, मा० अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार। दिनांक 13-03-2020 से 16-03-2020, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-8990, देयक संख्याः आगरा/0020, दिनांक 07-06-2020	रू० 32,056=00
8-	प्रो० राम शंकर कठेरिया जी, मा० अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार। दिनांक 21-03-2020 से 23-03-2020, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-8990, देयक संख्याः आगरा/0021, दिनांक 07-06-2020	रू० 19,866=00
9-	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी, मा० कृषि मंत्री, भारत सरकार । दिनांक 11-12-2020 से 12-12-2020, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-8990, देयक संख्याः आगरा/0169, दिनांक 10-01-2020	रू० 8,895=00
10-	मा० मुख्य न्यायमूर्ति श्री रवि रंजन जी, मा० उच्च न्यायालय, झारखण्ड । दिनांक 27-12-2019 से 30-12-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-75 ए०टी०-1384, देयक संख्याः आगरा/0171, दिनांक 10-01-2020	रू० 26,717=00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11-	मा० मुख्य न्यायमूर्ति श्री रवि रंजन जी, मा० उच्च न्यायालय, झारखण्ड । दिनांक 01-01-2020 से 02-01-2020, वाहन संख्याः यू०पी०-75 ए०टी०-1384, देयक संख्याः आगरा/0172, दिनांक 10-01-2020	रू० 6,468=00
12-	मा० न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार वर्मा जी, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद । दिनांक 28-12-2019 से 30-12-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०-4508, देयक संख्याः आगरा/0173, दिनांक 10-01-2020,	रू० 14,589=00
13-	श्रीमती बेबीरानी मौर्य जी, महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड । दिनांक 28-02-2020 से 29-02-2020, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-8990, देयक संख्याः आगरा/006, दिनांक 20-05-2020, वाहन संख्याः यू०पी०-80 डी०टी०-3637, देयक संख्याः 835, दिनांक 01-03-2020	रू० 11,875=00 रू० 8,400=00
14-	श्री सोम प्रकाश जी, मा० राज्य मंत्री, कामर्स, वाणिज्य उद्योग, भारत सरकार । दिनांक 14-02-2020 से 15-02-2020,, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-8990, देयक संख्याः आगरा/007, दिनांक 20-05-2020	रू० 20,091=00
15-	मा० न्यायमूर्ति श्री पारस सरथी जी, मा० उच्च न्यायालय, पटना । दिनांक 01-03-2020 से 02-03-2020, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०-4508, देयक संख्याः आगरा/009, दिनांक 20-05-2020	रू० 6,910=00
16-	श्रीमती बेबीरानी मौर्य जी, महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड । दिनांक 10-03-2020 से 13-03-2020, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०-4508, वाहन संख्याः यू०पी०-75 ए०टी०-1384, देयक संख्याः आगरा/016, दिनांक 20-05-2020,	रू० 51,376=00 रू० 51,376=00
	(रूपये चार लाख छाःछठ हजार एक सौ इकहत्तर मात्र) कुल योग	रू० 4,66,171=00

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना, संबंधित कोषागार की डी०डी०ओ० रिकान्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये। उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है। उक्त से सम्बन्धित देयक मूलरूप में वापस किये जा रहे हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-'2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापनाएं-22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः (16 देयक मूलरूप में)

भवदीय,
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

संख्याः 36/2020/1386 (1) प्रो०/51-2020-14(10)/2019, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद
2. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
3. कोषाधिकारी, आगरा।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, टिहरी कोठी परिवहन भवन, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा ।
7. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।